

[2014] एस. सी. आर. 689

अनूप लाल यादव और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 775/2007)

26 सितंबर, 2014

[रंजना प्रकाश देसाई और एन. वी. रमना, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: धाराएँ 302/149-दो गुटों के बीच पुरानी शत्रुता-अपीलार्थी सं. 1 के नेतृत्व में लगभग 300-400 व्यक्तियों की भीड़ और अन्य अभियुक्तों ने बेरहमी से अन्य गुट के व्यक्तियों पर हमला किया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, 47 घर जला दिए गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। धाराएँ 302/149 के तहत दोषसिद्धि- अभिनिर्धारित: चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य भरोसेमंद एवं आत्मविश्वास वाले थे। अत्याचारों में उनकी भागीदारी के बारे में अभियुक्त की ओर से कोई इनकार नहीं किया गया था-अपीलकर्ता किए गए अपराध के सामान्य उद्देश्य को साझा करने वाली गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे-एक बार यह स्थापित हो जाए कि गैरकानूनी सभा का उद्देश्य सामान्य था, यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा बनाने वाले सभी व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दिखाया जाए, बल्कि उन्हें धारा 149 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। दोषसिद्धि आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं।

अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा:

1. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि विशाल भीड़ का नेतृत्व और उकसावा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने किया था जिन्होंने सक्रिय रूप

से नरसंहार में भाग लिया और निर्दोष ग्रामीणों को घातक हथियारों से मार डाला। अभियुक्तों की ओर से अत्याचारों में उनकी भागीदारी से कोई इनकार नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के भारी साक्ष्य की अनदेखी नहीं कर सकता है जिन्होंने अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अभियुक्तों/अपीलार्थियों की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त केवल निष्क्रिय थे जो जिज्ञासा से भीड़ में शामिल हुए और उनका कोई सामान्य इरादा नहीं था और वे उन्होंने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं किया था। अपीलार्थी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे जो ग्रामीणों को मारने, दंगा करने और लूटने के सामान्य उद्देश्य को साझा करते थे। प्रत्येक अभियुक्त ने सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई और नीचे की अदालतें भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत अभियुक्तों/अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में बिल्कुल सही थी। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा बनाने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दिखाया जाए, बल्कि उन्हें भा.दं.सं. की धारा 149 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। [कंडिका 15,20,21] [699-ई-जी; 702-डी-एच; 703-ए]

यूनिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 425 डी राज्य राजस्थान बनाम शिव चरण (2013) 12 एससीसी 76:2013 (8) एससीआर 336; लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 437:1989 (1) एससीआर 130; सुबा/घोराई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 607- पर निर्भर।

भूदेव मंडल/और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 2 एससीसी 755:1981 (3) एस. सी. आर. 291; संतोष बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 727:1975 (3) एस. सी. आर. 463; कुलदीप यादव बनाम बिहार राज्य (2011) 5 एस. सी. सी. 324:2011 (5) एस. सी. आर. 186; शाजी बनाम केरल राज्य/ए

(2011) 5 एस. सी. सी. 423:2011 (6) एस. सी. आर. 210; बादल मुर्मू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। (2014) 3 एससीसी 366:2014 (2) एससीआर 323; आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम तक्कीदीराम रेड्डी (1998) 6 एस. सी. सी. 554:1998 (3) एस. सी. आर. 1088- से संदर्भित।

वाद कानून संदर्भ

1981 (3) एससीआर 291	पारा 10	से संदर्भित।
1975 (3) एससीआर 463	पारा 10	से संदर्भित।
2011 (5) एससीआर 186	पारा 10	से संदर्भित।
2011 (6) एससीआर 210	पारा 10	से संदर्भित।
2014 (2) एससीआर 323	पारा 10	से संदर्भित।
1998 (3) एससीआर 1088	पारा 13	से संदर्भित।
(2003) 1 एससीसी 425	पारा 13	पर निर्भर।
2013 (8) एससीआर 336	पारा 13,19	पर निर्भर।
1989 (1) एससीआर 130	पारा 16	पर निर्भर।
(2003) 1 एससीसी 425	पारा 17	पर निर्भर।
(2013) 4 एससीसी 607	पारा 18	पर निर्भर।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 775/2007

आपराधिक अपील संख्या 566 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.2006 से 1993 (08)।

साथ में

आपराधिक अपील सं. 1163/2007

अपीलार्थियों की ओर से टी. महिपाल,

प्रेम सुंदर झा प्रतिवादी की ओर से गोपाल सिंह, प्रेरणा सिंह।

न्यायालय का निर्णय एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

निर्णय

ये अपीलें पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित अपीलार्थियों/अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने 1993 की आपराधिक अपील संख्या 566 में, जहां उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149, 436/149, 380/149, 323/149 और 145 और 147 के तहत 1978 के सत्र ट्रायल नंबर 28 में 8 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया, बिहार द्वारा उनके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

2. संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह है कि 25 सितंबर, 1974 के तड़के अपीलकर्ता सुरंग लाल यादव (अभियुक्त सं. 5), संथाला समुदाय का एक सदस्य, घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए हुए लगभग 300 से 400 व्यक्तियों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए सिंघमारी ग्राम में प्रवेश किया, सभी विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों जैसे धनुष, तीर, बल्लाम, भाला, कुल्हारी, डंडा से लैस थे और उनका हाथ में जलती हुई लपटों। आरोपी सुरंग लाल यादव के नेतृत्व में भीड़ ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय बादियों के लोगों पर क्रूरता से हमला किया, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से आए प्रवासी थे। भीड़ ने ग्रामीणों की चल संपत्ति लूट ली, उनके घरों में आग लगा दी, निर्दोष लोगों को घायल कर दिया और उनकी अंधाधुंध हत्या कर दी। उक्त घटना में 14 लोग मारे गए थे, 47 घरों को जला दिया गया था, कई संपत्तियों को लूट लिया गया था और कई लोग घायल हो गए थे। एक अमजद अली (पी डब्लू

2) द्वारा 25 सितंबर, 1974 को लगभग 1 बजे सहायक पुलिस उप-निरीक्षक को दी गई शिकायत के आधार पर, एक एफआईआर दर्ज की गई और जांच की गई। इस मामले की जड़ एक सरकारी भूमि थी, जो आरोपी व्यक्तियों के कब्जे में थी, लेकिन कथित तौर पर बादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

3. जांच के बाद यहां अपीलकर्ताओं सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। अन्य आरोपियों में से ज्यादातर को फरार बताया गया है। अपीलार्थियों सहित 27 अभियुक्त व्यक्तियों का मामला विचारण के लिए सुपुर्द किया गया था। निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं सहित 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। अन्य आरोपी, जो मुकदमे का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध थे, अपने जमानत बांड से कूद गए और फरार हो गए। अंततः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत केवल सात अभियुक्तों के संबंध में बयान दर्ज किए गए।

4. अभियुक्त के दोष को सामने लाने के लिए अभियोजन ने सभी 38 गवाहों से पूछताछ की है। मुखबिर अमजद अली से पी डब्लू 2 के रूप में पूछताछ की गई जो घटना का चश्मदीद गवाह था। अपनी परीक्षा में उसने पूरी घटना बताई थी एवं उन्होंने भीड़ में शामिल 33 लोगों की पहचान की, जिन्होंने आगजनी, लूटपाट में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने नामों का खुलासा किया।

5. पीडब्लू 1-डॉ. वी. एन. सिन्हा, सदर अस्पताल, पूर्णिया के सिविल सहायक सर्जन, जिन्होंने छह व्यक्तियों के शवों का पोस्टमॉर्टम किया था, मृतक के शरीर पर धारदार किनारा द्वारा भेदन घाव और काटने के घाव पाए गए थे और उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इन व्यक्तियों की मृत्यु उनकी मृत्यु के 48 से 72 घंटे से पहले उनके द्वारा की गई, एंटीमार्टम चोटों के कारण हुई थी। किशनगंज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. टी. पी. चटर्जी ने आठ अन्य मृतकों का पोस्टमॉर्टम जिन्होंने धारादार किनारा द्वारा भेदन घाव एवं कटा हुआ घाव एवं वेधरी घाव मृतक के शरीर पर पाया। उनकी राय में उनकी मृत्यु 72 घंटे के भीतर हुई।

6. विचारण न्यायालय ने, अभिलेख पर परिस्थितियों और सामग्री की संक्षिप्तता पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन ने अभियुक्त का दोष सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास का दंडादेश दिया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 436/149 के तहत किए गए अपराध के लिए पांच साल के लिए, धारा 380/149 के तहत किए गए अपराध के लिए दो साल के लिए और धारा 323/149 के तहत अपराध के लिए एक साल के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। भा.द.सं. की धारा 145 के तहत किए गए अपराध के लिए अभियुक्त सं 5 सुरज लाल यादव को एक साल का कठोर कारावास की सजा दी गई।

7. सभी सातों अभियुक्तों ने पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के समक्ष अपील में विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय और आदेश की आलोचना की। उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और पारित दंडादेश को बनाए रखते हुए दो अभियुक्तों के संबंध में अपील को स्वीकार कर लिया। अब हम केवल तीन अभियुक्तों के बारे में चिंतित हैं जिन्होंने इन आपराधिक अपीलों में हमारे समक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। भा.द.सं. की धारा 147 के तहत किए गए अपराध के लिए अन्य अभियुक्तों को छः माहि का कठोर कारावास की सजा, दोषसिद्धि के पश्चात दी गई। हालांकि यह निर्देश दिया गया कि सभी सजायें एक साथ चलेगी।

8. अभियुक्त/अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह प्रतिवाद किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त के रूप में अपीलकर्ता की पहचान अत्यधिक संदिग्ध हैं। उसने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त समूह और अभियोजन पक्ष के गवाहों के समूह के बीच दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोनों गुटों के बीच एक खुली लड़ाई छिड़ गई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अनूप लाल यादव (अभियुक्त-अपीलार्थी नं. 1) के भाई की भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी और सुरंग लाल यादव के भाई की भी उस

घटना से एक दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसमें अमजद अली (पी डब्लू 2) एक अभियुक्त था। इसके अलावा, अमजद अली (पीडब्लू 2) ने एक बार अभियुक्त सुरंग लाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। इस प्रकार दोनों गुटों के बीच दुश्मनी व्याप्त थी। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं और वे वर्तमान मामले में आरोपी को फंसाकर जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे। उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अभियुक्तों के खिलाफ रुखा और अस्पष्ट आरोप लगाए थे और किसी भी गवाह द्वारा किसी भी अभियुक्त को कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया है। इसलिए, उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोषी ठहराना निचली अदालतों द्वारा उचित नहीं है और उन्होंने आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराने में गलती की तथ्यों का अनुमान बिना अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखे लगाया।

9. विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि घटना के स्थान पर केवल अभियुक्तों की उपस्थिति उनके विधिविरुद्ध जमाव के बराबर नहीं होगी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से यह समझा जा सकता है कि अभियुक्तों के बीच कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था और उन्होंने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया था। घटना के स्थान पर केवल हथियार के साथ अभियुक्तों की उपस्थिति अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अधिकांश गवाहों ने आरोपी की पहचान नहीं की और यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने गैरकानूनी सभा बनाकर समान उद्देश्य साझा किया। निचली अदालतें इस तथ्य को समझने में पूरी तरह से विफल रही हैं कि गवाहों ने बयान दिया कि दूर से भीड़ को देखने के बाद, वे धान के खेत में छिप गए जो सीने के बराबर ऊंचा था, इस प्रकार उस दूरी से अभियुक्तों की उनकी पहचान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की प्रस्तुतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभियुक्त को अनुचित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उच्च न्यायालय ने उसे पुष्टि करने में गंभीर त्रुटियां की। विशेष रूप से, पार्टियों के बीच स्वीकार की गई दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए, मुखबिर (पीडब्लू 2)

अपीलार्थी नं. 1 के भाई की हत्या के मामले में आरोपी है और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, आईपीसी की धारा 149 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है.

10. भुदेव मंडल और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 755 पर भरोसा करते हुए विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए न्यायालय को, संपूर्ण साक्ष्य पर चर्चा करने के पश्चात्, विधिविरुद्ध जमाव के 'सामान्य उद्देश्य' के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष देना चाहिए, जबकि वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया है। इसके साथ ही संतोष बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 727 पर भरोसा करते हुए विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भीड़ के प्रत्येक सदस्य को आवश्यक रूप से उस भीड़ के प्रत्येक अन्य सदस्य के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। इस तर्क के समर्थन में कि आरोपी को गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य पर स्पष्ट निष्कर्ष के अभाव में आईपीसी की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, विद्वत वकील ने आगे कुलदीप यादव बनाम बिहार राज्य (2011) 5 एससीसी 324 अनाम शाजी बनाम केरल राज्य (2011) 5 एससीसी 423 और बादल मुर्मू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) 3 एससीसी 366 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

11. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि अभियुक्त अपीलकर्ता पहले ही लगभग सात वर्ष की सजा काट चुके हैं और यह घटना लगभग चालीस वर्ष पहले हुई थी और अभियुक्त को जेल में जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

12. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रेरणा सिंह ने अभियुक्त-अपीलार्थियों के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 400 हमलावरों की एक मजबूत भीड़ धनुष, तीर, बल्लाम, भाला, कुल्हारी और अन्य घातक हथियारों के साथ ग्राम सिंधीमारी में घुसी

और ग्रामीणों पर बेरहमी से हमला किया, उनकी संपत्ति लूट ली और कई घरों को जला दिया। इस भयावह हमले का नेतृत्व आरोपी सुरंग लाल यादव ने घोड़े की पीठ पर हाथ में तलवार लिए हुए किया था और अन्य आरोपी ने इस जघन्य अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 14 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष ने 38 गवाहों की जांच की है। पीडब्लू 2 (अमजद अली) सहित गवाह-मुखबिर जो प्रत्यक्षदर्शी था। उन्होंने स्पष्ट और सुनिश्चित तरीके से बयान दिया कि आरोपी सुरंग लाल यादव भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, जो घटना की तारीख पर ग्राम में हत्या की होड़ चला रहा था। पीडब्लू-4-एक अन्य चश्मदीद गवाह अब्दुल मोकिम ने बयान दिया कि वह पुलिस के निर्देश पर शवों को एक गाड़ी में किशनगंज अस्पताल ले गया था। पी डब्लू 11-एस. के. सामयूल ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसने भीड़ से भागने की कोशिश की, तो इसमें सहदेव-अपीलार्थी ने एक लाठी प्रहार किया। फिर भी, 26 गवाहों ने सुरंग लाल यादव द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया है। अभियुक्त-अपीलकर्ता अनूप लाल यादव की पहचान कुछ थोड़े से नहीं बल्कि 14 अभियोजन गवाहों द्वारा की गई थी, जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता सहदेव की पहचान 11 गवाहों द्वारा की गई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि धान के खेत से, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने परिजनों की क्रूर हत्या और सुरंग लाल यादव के नेतृत्व में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के हाथों संपत्तियों की तबाही देखी थी।

13. अभियुक्त/अपीलार्थियों के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क का जोरदार खंडन करते हुए कि विचारण न्यायालय को अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोपित नहीं करना चाहिए था, विद्वत अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अभियुक्त अपीलार्थियों का सामान्य आशय एकदम स्पष्ट था कि वे पीड़ितों के कब्जे वाले क्षेत्र में कहर फैलाना चाहते थे और उनके मन में आतंक भरना चाहते थे। इस सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, अभियुक्त ने पीड़ितों के खिलाफ घातक हथियारों का उपयोग किया और 14 निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला और कई अन्य को घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि कानून पूरी तरह स्पष्ट है कि यदि किसी गैर-कानूनी सभा के

किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई अपराध किया जाता है, तो उस गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी है। विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जब अभियुक्त उस जमाव के सदस्य साबित होते हैं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने ए. पी. राज्स बनाम ठक्कीदीराम रेड्डी (1998) 6 एस. सी. सी. 554, यूनुस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 425 और राजस्थान राज्य बनाम शिव चरण (2013) 12 एससीसी 76 वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

14. विद्वत वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि एक गहन जांच करने और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल की एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू की थी और गवाहों की संख्या की जांच की थी। पूरी तरह से मुकदमा चलाने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद ही निचली अदालत ने अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। निचली अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला कि लगभग 400 लोगों की गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट कार्य का श्रेय देना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, निचली अदालत ने कहा कि यह संदेह से परे स्थापित है कि भरिया मुसलमान की हत्या करने और उनके घरों में आग लगाने और उनकी चल-अचल संपत्ति को लूटने के लिए एक 'सामान्य उद्देश्य' वाले लगभग 400 लोगों की भीड़ थी। उच्च न्यायालय ने भी पूरे साक्ष्य की समीक्षा की और उसके बाद ही निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने कहा कि घटना से पहले और घटना के दौरान आरोपी व्यक्तियों का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनका सामान्य उद्देश्य लूट, आगजनी और हत्या करना था। इसलिए, विद्वत वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि, नीचे के न्यायालयों के निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का एवं मृत शरीरों का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों की राय सहित

अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री विस्तार से अध्ययन किया है।रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक बड़ी अशांति हुई जिसमें कई निर्दोष ग्रामीणों ने अपनी संपत्ति, रिश्तेदारों को खो दिया। हमें पता चला है कि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।हमने दोनों पक्षों के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को सावधानीपूर्वक देखा है। पीडब्लू-2 (अमजद अली) के बयान की जांच से पता चलता है कि घटना के दिन लगभग 8 बजे सुबह, उन्होंने आरोपी सुरंग लाल यादव की निगरानी में भीड़ द्वारा की गई तबाही देखी थी, जो अपने हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने धान के खेत से देखा था कि भीड़, जिनमें से अधिकांश निस्संदेह संधाल थे, घातक हथियारों से लैस थे और जलती हुई लकड़ी के लगभग 10-12 लोगों की मौत हो गई थी, ग्रामीणों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और कई घरों को आग लगा दी थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यहां अपीलकर्ताओं सहित भीड़ में 33 व्यक्तियों की पहचान की थी और उनके नामों का खुलासा किया था। प्रतिपरीक्षा में, उसने गवाही दी कि वह एक घंटे तक धान के खेत में छिपा रहा था, जहां से उसने सुरंग लाल यादव के नेतृत्व में भीड़ की गतिविधियों को देखा। एक अन्य चश्मदीद पीडब्लू 3 (अब्दुल सत्तार) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सुरंग लाल यादव के हाथ में एक तलवार थी और अनूप लाल यादव (यहां अपीलकर्ता) के हाथ में एक 'भला' था जब वे अपराध कर रहे थे। पी डब्लू 3 ने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह डर के साथ भाग रहा था, तो होपना संधाल (फरार अभियुक्त) ने पीछे से उसके सिर पर लाठी मारी।पीडब्लू 13 (इमाजुद्दीन) ने भी स्पष्ट शब्दों में बयान दिया कि नेता (मुखिया) सुरंग लाल भीड़ को यह कहते हुए उकसा रहा था कि इन भरिया लोगों को मार डालो। एक अन्य गवाह कालू उर्फ कलीमुद्दीन (पीडब्लू 16) ने सहदेव चमार (यहां अपीलकर्ता) की पहचान अन्य लोगों के बीच की। अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों पीडब्लू 17 (अबुल कबीर), पीडब्लू 18 (नईजीरुद्दीन), पीडब्लू 19 (अब्दुल कुदुस), पीडब्लू 20 (ऐनुल हक), पीडब्लू 22 (समुल हक), जो सभी भी जश्मदीद गवाह हैं, ने अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को बताया और उन सभी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरंग लाल यादव ग्रामीणों की हत्या करने के लिए भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसे उकसा रहा था। इन व्यक्तियों के अलावा, हमने पी डब्लू 24-देवेन्द्र पी डी (एक

दुकान के मालिक), पी डब्लू 27-मुजफ्फर हुसैन (लिखित रिपोर्ट के लेखक), पी डब्लू 28-धनिक लाल साह (कुछ शवों की जांच रिपोर्ट के एक गवाह) और पी डब्लू 37-राणा कृष्ण सिंह (आई ओ) के बयानों को भी देखा है। अभियोजन पक्ष के इन गवाहों के साक्ष्य पुष्टि करने वाले और सुसंगत हैं। पी डब्लू 38 (शिवाजी सिंह), एसआई ने घटना का घटित होना और अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर, 1974 को सुबह लगभग 10.15 बजे उन्होंने सिंघमारी ग्राम का दौरा किया और बड़ी संख्या में संथालों (अभियुक्तों) की सभा देखी, जबकि पीड़ित समुदाय के लोग हड़बड़ी में भाग रहे थे। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य भरोसे के लायक हैं और न्यायालय के विचार में विश्वास पैदा करते हैं और कल्पना के किसी विस्तार से यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है कि विशाल भीड़ का नेतृत्व और उकसाना सुरंग लाल यादव (अपीलकर्ता) और अनूप लाल यादव और सहदेव चमार (अन्य अपीलकर्ता) द्वारा किया गया था, जिन्होंने नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग लिया था और निर्दोष ग्रामीणों को घातक हथियारों से मार डाला था। यह ध्यान देने योग्य है कि अत्याचारों में उनकी भागीदारी के बारे में अभियुक्तों की ओर से कोई इंकार नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय अभियोजन गवाहों के भारी भरकम साक्ष्यों का नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसमें अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का सुस्पष्ट वर्णन किया है।

16. लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एससीसी 437 में, यह न्यायालय ने पाया।

“धारा 149 अपराध करने के समय किसी भी गैर-कानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है। इस प्रकार इस धारा ने एक विशिष्ट और पृथक अपराध का सृजन किया। दूसरे शब्दों में, इसने उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए गैरकानूनी कार्यों के लिए विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों के लिए एक रचनात्मक या प्रतिवादी

दायित्व पैदा किया। तथापि, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिवादी दायित्व केवल विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्यों के अनुसरण में किए गए कार्यों तक या ऐसे अपराधों तक विस्तारित होता है जिन्हें विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे। एक बार जब किसी व्यक्ति का मामला इस धारा के अवयवों के अंतर्गत आता है कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। वह यह प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने गैर-कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध को अपने हाथों से नहीं किया था या जैसे कि सभा के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि वह जिन कार्यों में शामिल हुआ है, उनके संयोजन के संभावित और स्वाभाविक परिणामों का इरादा रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए। जब लाठियों से लैस अभियुक्त व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होते हैं और शिकायतकर्ता पक्ष पर हमले के पक्षकार होते हैं, तो अभियोजन यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि कौन सा विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किस अभियुक्त द्वारा किया गया था। यह धारा प्रत्येक और सभी के कार्यों के लिए एक प्रमुख के रूप में गैर-कानूनी सभा के सदस्य को जिम्मेदार बनाती है, केवल इसलिए कि वह एक गैर-कानूनी सभा का सदस्य है। जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध करने वाले व्यक्ति के सामान्य इरादे को इंगित कर सकती है, गैर-कानूनी सभा में केवल उपस्थिति धारा 149 के तहत आपराधिक दायित्व को मजबूत कर सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 149 के तहत रचनात्मक दोष

का आधार केवल आवश्यक सामान्य उद्देश्य या ज्ञान के साथ गैरकानूनी सभा की सदस्यता है।”

17. यूनुस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 1 एससीसी 425 में, उसमें अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वत वकील ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं लगाया गया था और उसे केवल आईपीसी की धारा 149 के आधार पर फंसाया जा रहा था। इस न्यायालय ने यह आरोपित करते हुए कि इस तर्क में कोई गुणागुण नहीं है माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत अगर किसी व्यक्ति पर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं भी लगाया जाता है, तब भी गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में आरोपी की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। तदनुसार न्यायालय ने उस मामले में यह पाया गया कि अपीलार्थी गैरकानूनी सभा का सदस्य था जो स्वयं उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है जब उसकी उपस्थिति विवादित नहीं की गई है।

18. लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर भरोसा करते हुए यह न्यायालय सुबल घोराई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 607 वाले मामले में पाया कि

“यदि आम उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो गैर कानूनी सभा का कोई भी सदस्य जो अपराध के समय उपस्थित था और जिसने उस सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था, उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य न किया गया हो। यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ लक्षित पीड़ितों पर हमला करती है, तो सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि कुछ सदस्यों द्वारा अपने पास रखे गए हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करता है, यदि वे गैरकानूनी सभा के समान उद्देश्य को साझा करते हैं।”

19. इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य बनाम शिव चरण, (2013) 12 एस. सी. सी. 76 इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया:

“भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता का महत्वपूर्ण प्रश्न रचनात्मक दायित्व पर आधारित है जो इसके लागू होने के लिए अनिवार्य है। इसमें अनिवार्य रूप से केवल दो घटक शामिल हैं, अर्थात् (1) पांच या अधिक सदस्यों से युक्त किसी भी गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया अपराध और (2) ऐसा अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य (आईपीसी की धारा 141) के अभियोजन में किया जाना चाहिए या उस सभा के सदस्यों को पता होना चाहिए कि समान वस्तु के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य उद्देश्य के लिए एक पूर्व सहमति होना चाहिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य क्षण भर में बन सकता है। सामान्य उद्देश्य का अर्थ होगा ऐसी सभा के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया गया उद्देश्य या डिजाइन और इसका गठन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। यदि किया गया अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में नहीं है, तब भी यह भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का दूसरा भाग के तहत आ सकता है, यदि यह स्थापित हो जाता है कि अपराध ऐसा था, जैसा कि सदस्यों को पता था, तो उसके किए जाने की संभावना थी।”

20. इस प्रकार, अभिलेख पर पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन करके, हम अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के विद्वत वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अभियुक्त केवल निष्क्रिय दर्शक थे जो जिज्ञासा के कारण भीड़ में शामिल हुए थे और उनका कोई सामान्य इरादा नहीं था और गैर-कानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं किया गया था। इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के आलोक में, हम अपीलकर्ताओं के इस तर्क को भी स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि प्रत्येक अभियुक्त को कोई प्रत्यक्ष कार्य जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, इसलिए आईपीसी की धारा 149 का उपयोग उचित नहीं है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई

संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता हत्या, दंगा और ग्रामीणों को लूटने के समान उद्देश्य को साझा करने वाले गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। प्रत्येक अभियुक्त ने सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में निचली अदालतें पूरी तरह से सही थीं।

21. अतः, हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। निपटाए गए विधि के सिद्धांत, को देखते हुए एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि विधिविरुद्ध जमाव का एक समान उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्तियों ने कोई प्रत्यक्ष कार्य किया है, बल्कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। इसलिए हम विचारण न्यायालय क्षरा पारित दोषसिद्धी एवं सजा में कोई गलती नहीं पाते हैं एवं यह उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित है और संविधान का अनुच्छेद 136 के हस्तक्षेप का आह्वान करते हैं।

22. अपीलें विफल हो जाती हैं और इसके द्वारा खारिज की जाती हैं।

(रंजना प्रकाश देसाई), न्यायमूर्ति
(एन. वी. रमण), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

सितंबर 26, 2014

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।